

**बिहार सरकार  
गृह विभाग  
(आरक्षी शाखा)  
अधिसूचना**

पटना, दिनांक—

संख्या-3/वित्तु-01-04/2020 गृह/आरक्षी शाखा/ भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक सह पठित बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 55 एवं धारा 94 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, दूरसंचार अधीनस्थ पदाधिकारी (प्रचालक) भर्ती, प्रोन्नति और संवर्ग नियमावली, 1989 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

**1. संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ।—** (1) यह नियमावली बिहार पुलिस दूर संचार (वित्तु) एवं तकनीकी अराजपत्रित संवर्ग नियमावली, 2021 कही जायेगी।

(2) यह संपूर्ण बिहार राज्य में लागू होगी।

(3) यह तत्काल प्रवृत्त होगी।

**2. परिभाषाएँ।—** इस नियमावली में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो

(i) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(ii) "विभाग" से अभिप्रेत है गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार सरकार;

(iii) "चयन पर्वद" से अभिप्रेत है केन्द्रीय चयन पर्वद (सिपाही भर्ती);

(iv) "अवर सेवा आयोग" से अभिप्रेत है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग;

(v) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग;

(vi) "संवर्ग नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है सिपाही से पुलिस निरीक्षक कोटि के लिए पुलिस महानिदेशक, बिहार,

(vii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है,

(क) सिपाही (प्रचालक) एवं सिपाही (तकनीकी) के लिए पुलिस अधीक्षक (वित्तु);

(ख) हवलदार (प्रचालक) एवं हवलदार (तकनीकी) के लिए पुलिस अधीक्षक (वित्तु);

(ग) सहायक अवर निरीक्षक (प्रचालक) एवं सहायक अवर निरीक्षक (तकनीकी) के लिए पुलिस उप-महानिरीक्षक (वित्तु एवं तकनीकी सेवायें);

(घ) अवर निरीक्षक (प्रचालक) एवं अवर निरीक्षक (तकनीकी) के लिए पुलिस उप-महानिरीक्षक (वित्तु एवं तकनीकी सेवायें);

(च) पुलिस निरीक्षक (प्रचालक) एवं पुलिस निरीक्षक (तकनीकी) के लिए पुलिस महानिदेशक, बिहार;

(viii) "संवर्ग" से अभिप्रेत है बिहार पुलिस दूरसंचार (वित्तु) एवं तकनीकी अराजपत्रित संवर्ग;

(ix) "डी०सी०पी०डब्लू०" से अभिप्रेत है पुलिस बेतार समन्वय निदेशालय, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली;

(x) "पुलिस महानिदेशक" से अभिप्रेत है बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 5(1) के तहत सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी;

(xi) "बिहार पुलिस रेडियो संगठन" से अभिप्रेत है वह संगठन जो बिहार पुलिस बल का एक अंग है एवं जो विधि एवं व्यवस्था और अपराधों के निवारण एवं उद्भेदन से संबंधित संदेशों के पारेषण के लिए राज्य में बेतार संचार की व्यवस्था करे। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर प्राकृतिक आपदा आदि एवं राज्य सरकार अथवा पुलिस महानिदेशक द्वारा निर्देशित संवादों का पारेषण आदि की व्यवस्था करे।

(xii) "बिहार पुलिस रेडियो मुख्यालय" से अभिप्रेत है पटना स्थित बिहार पुलिस रेडियो संगठन का कार्यालय।

(xiii) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची।

3. **संवर्ग की संरचना।**—(क) यह संवर्ग एक बंद संवर्ग होगा। इस संवर्ग का पदसोपान निम्नवत होगा

| क्र० | पदनाम                                                                    | कोटि                   | स्तर       |
|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 1    | सिपाही (प्रचालक) एवं सिपाही (तकनीकी)                                     | मूल कोटि               | अराजपत्रित |
| 2    | हवलदार (प्रचालक) एवं हवलदार (तकनीकी)                                     | प्रथम प्रोन्नति स्तर   | अराजपत्रित |
| 3    | पुलिस सहायक अवर निरीक्षक (प्रचालक) एवं पुलिस सहायक अवर निरीक्षक (तकनीकी) | द्वितीय प्रोन्नति स्तर | अराजपत्रित |
| 4    | पुलिस अवर निरीक्षक (प्रचालक) एवं पुलिस अवर निरीक्षक (तकनीकी)             | तृतीय प्रोन्नति स्तर   | अराजपत्रित |
| 5    | पुलिस निरीक्षक (प्रचालक) एवं पुलिस निरीक्षक (तकनीकी)                     | चतुर्थ प्रोन्नति स्तर  | अराजपत्रित |

(ख) उक्त पदों का वेतनमान/वेतन स्तर वही होगा जैसा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय।

4. **संवर्ग बल।**— (i) संवर्ग का बल वर्तमान बल के अनुसार होगा, परन्तु आवश्यकतानुसार समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा पद सृजन अथवा पद समाप्ति के अधीन रहते हुए संवर्ग तदनुसार पुनरीक्षित समझा जायेगा।

(ii) इस संवर्ग के सभी कर्मी (अनुसूचित/अनुसूचित वर्गों को छोड़ कर) सामान्य पुलिस बल के लिए समकक्ष पदों हेतु निर्धारित वर्दी पहनेंगे लेकिन सामान्य पुलिस संवर्ग में इनका समायोजन नहीं होगा।

(iii) नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के पूर्व से कार्यरत बिहार पुलिस रेडियो संगठन के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी इस संवर्ग के सदस्य समझे जायेंगे।

#### 5. **संवर्ग में नियुक्ति, प्रोन्नति, प्रशिक्षण एवं संपुष्टि।**—

(I) **सिपाही (प्रचालक) एवं सिपाही (तकनीकी)** के पद पर नियुक्ति, प्रशिक्षण एवं संपुष्टि

(क) **सिपाही (प्रचालक) एवं सिपाही (तकनीकी)** के सभी पदों पर भारत के नागरिक को सीधी नियुक्ति से चयन पद्धति की अनुशंसा पर भरा जा सकेगा।

परन्तु

सिपाही (प्रचालक) की कमी रहने एवं इस पद पर नियुक्ति में विलम्ब होने की संभावना पर कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत बल का अधिकतम 25 प्रतिशत पदों को पुलिस बल के अन्य इकाईयों के वैसे सिपाही, जो सिपाही (प्रचालक) पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखते हों, से पुलिस महानिदेशक के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा। इसका स्थायी समायोजन बिहार पुलिस रेडियो संगठन में नहीं किया जाएगा। सिपाही(प्रचालक) की सीधी नियुक्ति होने पर उन्हें पूर्व पदस्थापन स्थान/इकाई को प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

(ख) **न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता** — सिपाही (प्रचालक) पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इन्टरमीडियेट (विज्ञान) अथवा समकक्ष में भौतिकी, रसायन एवं गणित विषयों में न्यूनतम पचास प्रतिशत (50%) अंक के साथ उत्तीर्णता तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों के लिए न्यूनतम पैतालीस प्रतिशत (45%) अंक के साथ उत्तीर्णता होगी।

सिपाही (तकनीकी) पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (क) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्यूनिकेशन (Electronics & Communication) अथवा (ख) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेली कम्यूनिकेशन (Electronics & Telecommunication) अथवा (ग) सूचना एवं प्राविधिकी (Information Technology) अथवा इलेक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स (Electrical & Electronics) में से किसी एक विषय में दो वर्षों का NCVT/SCVT कोर्स में किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ITI संस्थान से न्यूनतम पचास प्रतिशत (50%) अंक के साथ उत्तीर्णता तथा अनुसूचित

जाति/अनुसूचित जन जाति के सदस्यों के लिए न्यूनतम पैतालीस प्रतिशत (45%) अंक के साथ उत्तीर्णता के साथ बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के कार्यालय आदेश संख्या-342 दिनांक-09.07.2018 के कंडिका-2 में विहित प्रवधान के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से कक्षा-12 वीं के लिए निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी एवं हिन्दी विषयों की परीक्षा सम्मिलित रूप से उत्तीर्ण करने के उपरान्त (अंग्रेजी एवं हिन्दी की परीक्षा एक ही वर्ष में तथा ITI उत्तीर्ण वर्ष के साथ अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की है) 12 वीं के समतुल्य होगा।

(ग) उम्र सीमा— अभ्यर्थियों की उम्र सीमा निम्न प्रकार होगी :-

- (i) सामान्य कोटि के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष ;
- (ii) पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 27 वर्ष ;
- (iii) पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष ; एवं
- (iv) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष ।

(घ) चयन की प्रक्रिया एवं पद्धति:— (i) सिपाही (प्रचालक) एवं सिपाही (तकनीकी) के पदों पर नियुक्ति के लिए चयन पर्वद द्वारा पृथक/संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से योग्य अभ्यर्थियों की अनुशंसा की जाएगी। सिपाही (प्रचालक) एवं सिपाही (तकनीकी) के पद पर नियुक्ति हेतु सामान्य सिपाही के पद पर नियुक्ति के लिये आयोजित होने वाली परीक्षा के साथ, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जा सकेगी। बिहार पुलिस रेडियो मुख्यालय के अनुरोध पर पुलिस महानिदेशक द्वारा चयन पर्वद को विहित निदर्शन प्रपत्र (प्रोफार्मा) में एक अध्यापेक्षा भेजी जाएगी, जिसमें आरक्षण कोटिवार रिक्त पदों की संख्या उल्लिखित होगी। चयन पर्वद प्रश्न पत्रों का चयन, लिखित परीक्षा का संचालन, उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच करने हेतु परीक्षकों की नियुक्ति करेगा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन करेगा एवं सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा सूची नियुक्ति प्राधिकार को भेजेगा।

(ii) पुलिस महानिदेशक से प्राप्त अध्यापेक्षा के अनुसार चयन पर्वद रिक्तियों को व्यापक रूप से परिचारित होने वाले समाचार पत्रों एवं वेबसाईट (website) के माध्यम से विज्ञापित कराएगा। अभ्यर्थियों को विज्ञापन में दिये गये निदेशों एवं शर्तों का पालन करना होगा। अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क, जो चयन पर्वद द्वारा नियत किया जाए, लिया जायेगा। अभ्यर्थी अपना आवेदन, विहित प्रपत्र में, चयन पर्वद द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापन में अन्तर्विष्ट निर्बंधनों एवं शर्तों के अधीन चयन पर्वद के वेबसाईट (website) पर ऑनलाईन (online) रूप में समर्पित करेंगे। संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की स्थिति में अवधारित अर्हता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को पदों के चयन हेतु अपनी प्राथमिकता बतानी होगी।

(iii) चयन पर्वद सभी अभ्यर्थियों के लिए प्रथम चरण में लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा। लिखित परीक्षा में एक सौ (100) अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या एक सौ (100) होगी एवं परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक (01) अंक दिया जाएगा। इस पत्र में तीस (30) प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे।

सिपाही (प्रचालक) पद हेतु उक्त प्रश्न पत्र में पच्चीस (25) प्रश्न सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित होंगे तथा पच्चीस-पच्चीस (25-25) प्रश्न इन्टरमीडिएट स्तर के भौतिकी, रसायन एवं गणित विषयों से होंगे ।

सिपाही (तकनीकी) पद हेतु उक्त पत्र में पच्चीस (25) प्रश्न सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित होंगे तथा पचहत्तर (75) प्रश्न डिप्लोमा स्तर के समूह (क) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्यूनिकेशन (Electronics & Communication) अथवा समूह (ख) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेली कम्यूनिकेशन (Electronics & Telecommunication) अथवा समूह

(ग) सूचना एवं प्रावैधिकी (Information Technology) अथवा समूह (घ) इलेक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्रानिक्स (Electrical & Electronics) विषयों से संबंधित होंगे। समूह (क) से समूह (घ) तक के विषयों में से उम्मीदवारों को किसी एक समूह का चयन कर उत्तर देने होंगे। उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में होगी, जिसमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में चयन पर्वद के पास परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक सुरक्षित रखी जायेगी, परन्तु यदि परीक्षा से संबद्ध कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन हो तो उक्त परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएँ वाद के निष्पादन तक सुरक्षित रखी जाएगी।

- (iv) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों का अधिकतम पाँच (5) गुणा सफल अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की स्थिति में चयन पर्वद उक्त अनुपात को उपयुक्त रूप से कम कर सकेगा।
- (v) प्रथम चरण में आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा चयन पर्वद द्वारा ली जाएगी, जिसमें मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। अभ्यर्थियों की शारीरिक माप एवं दक्षता जाँच इस नियमावली से सम्बद्ध अनुसूची "क" में यथाविहित रूप में होगी, जो इस नियमावली का अंग है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में निर्धारित माप एवं अन्य जाँच के लिए आधुनिक तकनीकी आधारित पारदर्शी प्रक्रिया तथा कम्प्यूटरीकृत पद्धतियाँ अपनाई जाएगी। प्रक्रिया की आवश्यकता अनुसार यथासंभव विडियोग्राफी भी की जाएगी। चयन पर्वद प्रत्येक दिन शारीरिक दक्षता परीक्षा में औपबधिक रूप से सफल अथवा असफल होने की सूचना सभी अभ्यर्थियों को देगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र ऊँचाई एवं सीना मापी से असंतुष्ट अभ्यर्थी उसी दिन अपनी आपत्ति चयन पर्वद के समक्ष दर्ज करा सकेगा। चयन पर्वद, आपत्ति संबंधी अभ्यावेदन का निपटारा आपत्ति प्राप्ति की तिथि को ही कर देगा।
- (ड.) मेधा सूची का निर्माण : (i) शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों में से चयन हेतु अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर रिक्तियों के अनुरूप आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी।
- (ii) संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होने की स्थिति में अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची अभ्यर्थियों द्वारा पदों के लिए बताये गये प्राथमिकता के आधार पर अलग-अलग तैयार की जायेगी।
- (iii) लिखित परीक्षा में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का अवधारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा अर्थात् उम्र में वरीय अभ्यर्थी मेधा क्रम में उपर रहेंगे। समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का अवधारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जायेगा अर्थात् तुलनात्मक दृष्टिकोण से अधिक शैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यर्थी मेधा क्रम में उपर रहेंगे। इसके बावजूद यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि वाले हों, तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता उनके अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अवधारित की जायेगी अर्थात् अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मेधा क्रम में उपर रहेंगे। इसके बावजूद यदि वरीयता का अवधारण नहीं हो पाए तो उनके दसवीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में यथोलिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार यह अवधारित की जायेगी।
- (iv) चयन पर्वद न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मेधा के आधार पर घटते क्रम में सूची तैयार करेगा और पुलिस महानिदेशक से प्राप्त अध्यपेक्षा के अनुसार आरक्षण कोटिवार एवं मेधा अंकों के घटते क्रम में नामों की अनुशंसा करेगा।
- (v) अभ्यर्थियों के योगदान नहीं करने के कारण विज्ञापन के अधीन रिक्त पदों पर नियुक्ति करने हेतु पुलिस महानिदेशक के अनुरोध पर, पर्वद द्वारा पूरक अनुशंसा सूचियाँ छः (06) माह तक निर्गत की जायेगी। छः (06) माह की अवधि की गणना मेधा सूची के प्रकाशन की तिथि से किया जायेगा।

**(च) चिकित्सीय जॉच, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन—**

- (i) सिपाही (प्रचालक) एवं सिपाही (तकनीकी) के पद पर नियुक्ति से पूर्व बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के फॉर्म सं० 103 के अनुसार चिकित्सीय जॉच एवं फॉर्म सं० 101 के अनुसार चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन नियुक्ति प्राधिकार द्वारा कराया जायेगा। प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं/अथवा अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यों को छुपाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किए जायेंगे।
- (ii) बिहार पुलिस हस्तक के नियम 658(iv) में किए गये प्रावधान के अनुसार अभ्यर्थी को ऐसे रोग, गठन विकार या दैहिक दुर्बलता से मुक्त होना चाहिए जिसके चलते वह कर्तव्यों के लिए अयोग्य हो या हो सकता हो।

**टिप्पणी 1—** नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण कराया जायेगा। दृष्टि दोष, कलर ब्लाइन्डनेस, श्रवण शक्ति, हकलाहट, फ्लैट-फुट एवं नौकिंग—नी आदि की जॉच चिकित्सकीय जॉच में की जायेगी। नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा।

**टिप्पणी 2—** हकलाना या तुतलाना जैसी त्रुटि के कारण अभ्यर्थी चुनाव का पात्र नहीं रह जायेगा।

**(छ) प्रशिक्षण—** (i) सिपाही (प्रचालक) एवं सिपाही (तकनीकी) को दस महीने की अवधि का संवर्ग—III चर्या में बुनियादी प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(ii) आरंभिक प्रशिक्षण, जो तीन महीनों का होगा, विधि, कवायद एवं पुलिस हस्तक आदि में, यथास्थिति, सिपाही प्रशिक्षण महाविद्यालय या सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय में होगा। तदुपरांत वे डी०सी०पी०डब्ल्यू० अथवा पुलिस महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार राज्य मुख्यालय या किसी उपयुक्त सिगनल विद्यालय में कोटिकरण और तकनीकीचर्या (तकनीकी और परिचालन संबंधी) सात माह का प्रशिक्षण पूरा करेंगे।

(iii) प्रशिक्षण के दौरान एक प्रशिक्षण—चर्या होगी। प्रशिक्षणार्थी द्वारा की गयी प्रगति के मूल्यांकन के लिये हर माह में एक बार व्यावहारिक जॉच होगी। प्रशिक्षण के अन्त में सिर्फ भीतरी विषयों की अंतिम लिखित परीक्षा होगी। सभी विषयों में उत्तीर्णांक डी०सी०पी०डब्ल्यू० द्वारा यथाविहित होगा। प्रथम प्रयास में अनुत्तीर्ण होने वाले को एक माह की अवधि तक गहन—शिक्षण—कोर्स में रखा जायेगा और गहन—शिक्षण—कोर्स समाप्त होने पर दूसरी परीक्षा भी ली जायेगी। जो दूसरे प्रयास में अनुत्तीर्ण होंगे उन्हें आगे एक माह की अवधि तक गहन प्रशिक्षण में रखा जायेगा और इस कोचिंग के समाप्त होने पर परीक्षा ली जायेगी। जो तीसरे प्रयास में भी अनुत्तीर्ण होंगे उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जायेगा।

**(ज) वरीयता—** वे सिपाही (प्रचालक)/सिपाही (तकनीकी) जो प्रथम प्रयास में संवर्ग—III चर्या में बुनियादी प्रशिक्षण की अंतिम लिखित परीक्षा उत्तीर्ण हो जाते हैं, उनकी वरीयता योग्यता क्रम से भीतरी विषयों में प्राप्त अंकों एवं चयन पर्वद द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार विनिर्धारित होगी। दोनों का समानुपातिक भार होगा। जो पहली परीक्षा में अनुत्तीर्ण एवं दूसरे प्रयास में उत्तीर्ण होते हैं उनका स्थान उनके नीचे होगा जो पहली परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और उनकी वरीयता दूसरी परीक्षा में भीतरी विषयों में प्राप्त की गयी उनकी योग्यता के अनुसार होगी। जो तीसरे प्रयास में उत्तीर्ण होते हैं उनका स्थान उनसे नीचे होगा जो प्रथम प्रयास एवं दूसरे प्रयास में उत्तीर्ण हुए हैं और सूची में उनका स्थान तीसरे प्रयास में भीतरी विषयों में प्राप्त किए गये अंकों के आधार पर योग्यता सूची के अनुसार होगा।

**(झ) विभागीय परीक्षा:—** सिपाही (प्रचालक) एवं सिपाही (तकनीकी) को संवर्ग—III चर्या परीक्षा उत्तीर्ण होना होगा।

**(ट) सम्पुष्टि—** वे सभी सिपाही (प्रचालक)/सिपाही (तकनीकी) जिन्होंने संवर्ग—III चर्या में उत्तीर्णता प्राप्त कर ली है और क्षेत्र में एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, सम्पुष्ट कर दिये जायेंगे।

**(II) हवलदार (प्रचालक) एवं हवलदार (तकनीकी) के पद पर कमशः सिपाही (प्रचालक) एवं सिपाही (तकनीकी) से प्रोन्नति, प्रशिक्षण एवं संपुष्टि—**

**(क) हवलदार (प्रचालक) एवं हवलदार (तकनीकी) पदों के सभी पदों को कमशः सिपाही (प्रचालक) एवं सिपाही (तकनीकी) से प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा। सम्पुष्ट सिपाही ही**

प्रोन्नति के पात्र समझे जायेंगे। सभी सम्पुष्ट सिपाही (प्रचालक) एवं सिपाही (तकनीकी) को अपने-अपने सम्वर्ग में पैतालिस (45) दिनों का प्रशिक्षण, जिसका निर्धारण एवं पाठ्यक्रम पुलिस महानिदेशक से अनुमोदन प्राप्त कर निर्धारित किया जायेगा, प्राप्त करना होगा और उन्हें जॉच परीक्षा में सफल होना होगा। इसके बाद वे प्रोन्नति के योग्य होंगे। प्रोन्नति में राज्य सरकार/पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित शर्तें एवं नियम लागू होंगे। प्रोन्नति के लिए राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत कालावधि मान्य होगी।

- (ख) **प्रोन्नति वरीयता-सह-योग्यता मापदण्ड के अनुसार** देय होगी, जो पुलिस महानिदेशक पर्वद की अनुशंसा पर विचारणीय होगी। पर्वद उप-महानिरीक्षक (वितन्तु एवं तकनीकी सेवायें) अथवा समकक्ष पदाधिकारी की अध्यक्षता में दो पुलिस अधीक्षक स्तर के पदाधिकारियों की सदस्यता के साथ गठित होगी, जिनमें से एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते होंगे।

**(III) सहायक अवर निरीक्षक (प्रचालक) एवं सहायक अवर निरीक्षक (तकनीकी) के पद पर नियुक्ति, प्रोन्नति, प्रशिक्षण एवं संपुष्टि—**

1. सहायक अवर निरीक्षक की पंक्ति के पचास प्रतिशत (50%) पद सम्पुष्ट हवलदारों में से प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे एवं शेष पचास प्रतिशत (50%) पद पर सीधी नियुक्ति अवर सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा की जायेगी।

2. **सीधी नियुक्ति—**

- (क) **न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता:—** सहायक अवर निरीक्षक (प्रचालक) पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी विषय के साथ विज्ञान में स्नातक (B.Sc.) में कम से कम पचास प्रतिशत (50%) अंकों के साथ उत्तीर्णता एवं सहायक अवर निरीक्षक (तकनीकी) पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पोलिटेक्नीक संस्थान से इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्यूनिकेशन (Electronics & Communication), अथवा इलेक्ट्रानिक्स एवं टेली कम्यूनिकेशन (Electronics & Tele Communication), अथवा सूचना प्रावैधिकी (Information Technology), अथवा इलेक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्रानिक्स (Electrical & Electronics) में से किसी एक विषय में तीन वर्षों के डिप्लोमा कोर्स में कम-से-कम पचास प्रतिशत (50%) अंकों के साथ उत्तीर्णता होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए दोनों पदों के लिए यह उत्तीर्णता पैतालिस प्रतिशत (45%) की होगी।

- (ख) **उम्र सीमा:—** अभ्यर्थियों की उम्र सीमा निम्न प्रकार होगी :—

- (i) सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष ;
- (ii) पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष ;
- (iii) पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष ; एवं
- (iv) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष।

- (ग) **चयन की प्रक्रिया एवं पद्धति:—**(i) बिहार पुलिस रेडियो मुख्यालय से प्राप्त अनुरोध पर पुलिस महानिदेशक द्वारा अवर सेवा आयोग के विहित निदर्शन प्रपत्र (प्रोफार्मा) में एक अध्यपेक्षा भेजी जायेगी, जिसमें आरक्षण कोटिवार रिक्त पदों की संख्या उल्लिखित होगी। अवर सेवा आयोग प्रश्न पत्र नियत, लिखित परीक्षा का संचालन, उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच करने हेतु परीक्षकों की नियुक्ति करेगा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन करेगा एवं सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा सूची नियुक्ति प्राधिकार को भेजेगा।

- (ii) पुलिस महानिदेशक से प्राप्त अध्यापक के अनुसार अवर सेवा आयोग रिक्तियों को व्यापक रूप में प्रचारित होने वाले समाचार पत्रों एवं वेबसाइट (website) के माध्यम से विज्ञापित करायेगा। अभ्यर्थियों को विज्ञापन में दिये गये निदेशों एवं शर्तों का पालन करना होगा। अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क, जो अवर सेवा आयोग द्वारा नियत किया जाय, लिया जायेगा। अभ्यर्थी अपना आवेदन, विहित प्रपत्र में, अवर सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापन में अंतर्विष्ट निर्बंधनों और शर्तों के अधीन, अवर सेवा आयोग के वेबसाइट पर ऑनलाईन रूप में समर्पित करेंगे।
- (iii) अवर सेवा आयोग सभी अभ्यर्थियों के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा। लिखित परीक्षा दो चरणों में होगी यथा:— प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे। प्रथम चरण में प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित की जायेगी। प्रारम्भिक परीक्षा में एक सौ (100) अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्नों की कुल संख्या एक सौ (100) होगी एवं परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी। उक्त प्रश्न पत्र में सहायक अवर निरीक्षक (प्रचालक) के लिए सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित चालीस (40) प्रश्न एवं भौतिकी से संबंधित साठ (60) प्रश्न पूछे जायेंगे प्रश्नों का स्तर स्नातक विज्ञान स्तर का होगा। सहायक अवर निरीक्षक (तकनीकी) के लिए सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित चालीस (40) प्रश्न एवं साठ (60) प्रश्न समूह (क) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्यूनिकेशन (Electronics & Communication), अथवा समूह (ख) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेली कम्यूनिकेशन (Electronics & Tele Communication), अथवा समूह (ग) सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology), अथवा समूह (घ) इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स (Electrical & Electronics) विषयों के होंगे। अभ्यर्थियों को समूह (क), (ख), (ग) अथवा (घ) में किसी एक समूह का चयन कर इन साठ (60) प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रश्नों का स्तर पोलिटेक्नीक स्तर का होगा। प्रारम्भिक परीक्षा में तीस प्रतिशत (30%) से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जायेंगे। प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के बीस (20) गुणा सफल अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा हेतु आरक्षण कोटिवार किया जायेगा। मुख्य परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में, अवर सेवा आयोग उक्त अनुपात में उपयुक्त रूप से कमी कर सकेगा।
- (iv) मुख्य परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होंगे प्रथम पत्र एक सौ (100) अंकों का सामान्य भाषा ज्ञान, जिसमें पचास (50) अंकों के सामान्य हिन्दी एवं पचास (50) अंकों के सामान्य अंग्रेजी विषय से प्रश्न होंगे। प्रश्नों का स्तर इन्टरमीडिएट स्तर का होगा और यह वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। इसमें न्यूनतम अर्हतांक तीस (30) अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। सामान्य भाषा ज्ञान पत्र के लिए परीक्षा की अवधि डेढ़ घंटे की होगी। सामान्य भाषा ज्ञान पत्र के प्राप्तांक मेधा की अवधारण में नहीं जोड़े जायेंगे।
- (v) द्वितीय प्रश्न पत्र सहायक अवर निरीक्षक (प्रचालक) हेतु स्नातक भौतिकी विषय का होगा तथा सहायक अवर निरीक्षक (तकनीकी) के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र समूह (क) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्यूनिकेशन (Electronics & Communication), अथवा समूह (ख) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेली कम्यूनिकेशन (Electronics & Tele Communication), अथवा समूह (ग) सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology), अथवा समूह (घ) इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स (Electrical & Electronics) विषयों में से किसी एक विषय की परीक्षा देनी होगी। इसमें वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिसका पूर्णांक एक सौ (100) अंक, प्रश्नों की संख्या एक सौ (100) होगी तथा परीक्षा अवधि तीन घंटे की होगी। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए दशमलव दो (0.2) अंक काटा जायेगा। उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति अवर सेवा आयोग के पास सुरक्षित रखी जायेगी। द्वितीय प्रश्न पत्र की इस परीक्षा में न्यूनतम तैत्तीस प्रतिशत (33%) अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक प्राप्त उम्मीदवार असफल होंगे।

पिप्पली-2-इकलाना या विलाना खैरि तिलि के करण अमरुत घिनाव का पात्र नहि रह जायेगा।

[illegible][illegible]

अथान्नं ते मा ते यन्नं ते ।  
उपकाम ते ।

बिहार पुलिस इस्लाम के नियम 658(IV) में किए गये प्रावधान के अनुसार अश्लील को ऐसे रोग, गठन विकार या दैहिक दुर्बलता से मुक्त होना चाहिए जिसके चलते वह कर कर्तव्यों के लिए

સંબંધિત અન્યથા નિર્ણયિત કે નિર્ણય આપીશ્ય ધોરણે કિન્ન જાયો.

सहायक अवर निरीक्षक (प्रबालक) एवं सहायक अवर निरीक्षक (तकनीकी) के पद पर नियुक्त से पूर्व विहार पुलिस इकाई, 1978 के फार्म सं० 103 के अनुसार विधिकीय जांच एवं फार्म सं० 101 के अनुसार वरिष्ठ एवं पूर्ववर्त का सत्यापन नियुक्त प्राधिकार द्वारा राजस्व कक्षा जांचा। प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर/अथवा अस्वीकार्य द्वारा राजस्व जांच एवं की विधि में

—കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (എം.എൽ.എം.)

। महाराज महाराज ह ह ह ह

मार्गदर्शकों के योगदान नहीं करने के कारण विज्ञान के अधीन रहने पर निर्भर करने हेतु पुलिस महानिदेशक, बिहार के अजीब पर, अगर सेवा आयोग द्वारा परक अज्ञान से विधायक उ: (06) माह तक निर्गत की जायेगी। उ: (06) माह की अवधि की गणना सेवा सेवी के प्रकाशन

एवं भूमा अंकी के घटने कम में नाना की अगुवाई करेगा।

महत्त्वपूर्ण आर्थिक विकास करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1950-51 में शुरू की गई योजनाओं में से एक है।

। पुस्तक के प्रयोग

लेखित मुख्य परीक्षा में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में  
 भेजा सूची में उनके स्थान का अवधारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा अर्थात्  
 उस में वरीय अभ्यर्थी भेजा क्रम में उपर रहेंगे। समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि  
 वाले दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में भेजा सूची में उनके स्थान का अवधारण उनकी  
 दशैविक योग्यता के आधार पर किया जाएगा अर्थात् तुलनात्मक दृष्टिकोण से अधिक शैक्षिक  
 योग्यतावासी अभ्यर्थी भेजा क्रम में उपर रहेंगे। इसके बावजूद यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान  
 योग्यताएँ एवं समान जन्म तिथि वाले हों, तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता उनके अंक परीक्षा में  
 प्राप्त अंकों के आधार पर अवधारित की जायेगी अर्थात् अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी  
 भेजा क्रम में उपर रहेंगे। इसके बावजूद यदि वरीयता का अवधारण नहीं हो पाए तो उनके  
 दसवीं बॉर्ड के प्रमाण पत्र में यथालिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार यह

। प्रह्लाद

युक्त प्रतिनिधि परीक्षा आयोजित होने की स्थिति में अतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की संख्या

पञ्चमः कः राघवः राघवाकः लक्ष्मणः अन्तरा कः शत्रुघ्नः सः रामः कः कल्याणः सः

मैदा सूची का निर्माण—(1) शारीरिक दृष्टांत परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों में से वयन हैटू अभिन कप से सफल अभ्यर्थियों की मैदा सूची लिखित परीक्षा की मुख्य परीक्षा के द्वितीय प्रश्न

मं शोभि, जो इय विमवली का अंग।

[illegible]
$$(IA)$$



(च) प्रशिक्षण:— (i) सहायक अवर निरीक्षक (प्रचालक) एवं सहायक अवर निरीक्षक (तकनीकी) को नौ महीने की अवधि का संवर्ग-II चर्या में बुनियादी प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(ii) सीधे भरती हुए सहायक अवर निरीक्षक को आरंभिक प्रशिक्षण, जो तीन महीनों का होगा, विधि कवायद एवं पुलिस हस्तक आदि में, यथास्थिति, आरक्षी प्रशिक्षण महाविद्यालय में होगा। तदुपरांत वे डी०सी०पी०डब्ल्यू० अथवा पुलिस महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार राज्य मुख्यालय या किसी उपयुक्त सिगनल विद्यालय में कोटिकरण और तकनीकीचर्या (तकनीकी और परिचालन संबंधी) छः माह का प्रशिक्षण पूरा करेंगे।

(iii) प्रशिक्षण के दौरान एक प्रशिक्षण-चर्या होगी। प्रशिक्षणार्थी द्वारा की गयी प्रगति के मूल्यांकन के लिये हर माह में एक बार व्यावहारिक जाँच होगी। प्रशिक्षण के अन्त में सिर्फ भीतरी विषयों की अंतिम लिखित परीक्षा होगी। सभी विषयों में उत्तीर्णांक डी०सी०पी०डब्ल्यू० द्वारा यथाविहित होगा। प्रथम प्रयास में अनुत्तीर्ण होने वाले को एक माह की अवधि तक गहन-शिक्षण-कोर्स में रखा जायेगा और गहन-शिक्षण-कोर्स समाप्त होने पर दूसरी परीक्षा भी ली जायेगी। जो दूसरे प्रयास में अनुत्तीर्ण होंगे उन्हें आगे एक माह की अवधि तक गहन प्रशिक्षण में रखा जायेगा और इस कोचिंग के समाप्त होने पर परीक्षा ली जायेगी। जो तीसरे प्रयास में भी अनुत्तीर्ण होंगे उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जायेगा।

(छ) वरीयता— वे सहायक अवर निरीक्षक (प्रचालक)/सहायक अवर निरीक्षक (तकनीकी) जो प्रथम प्रयास में संवर्ग-II चर्या में बुनियादी प्रशिक्षण की अंतिम लिखित परीक्षा उत्तीर्ण हो जाते हैं, उनकी वरीयता योग्यता क्रम से भीतरी विषयों में प्राप्त अंकों एवं अवर सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिखित मुख्य परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों के अनुसार विनिर्धारित होगी। दोनों का समानुपातिक भार होगा जो पहली परीक्षा में अनुत्तीर्ण एवं दूसरे प्रयास में उत्तीर्ण होते हैं उनका स्थान उनके नीचे होगा जो पहली परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और उनकी वरीयता दूसरी परीक्षा में भीतरी विषयों में प्राप्त की गयी उनकी योग्यता के अनुसार होगी। जो तीसरे प्रयास में उत्तीर्ण होते हैं उनका स्थान उनसे नीचे होगा जो प्रथम प्रयास एवं दूसरे प्रयास में उत्तीर्ण हुए हैं और सूची में उनका स्थान भीतरी विषयों में प्राप्त किए गये अंकों के आधार पर योग्यता सूची के अनुसार होगा।

(ज) सम्पुष्टि— वे सभी सहायक अवर निरीक्षक (प्रचालक)/सहायक अवर निरीक्षक (तकनीकी) जिन्होंने संवर्ग-II चर्या में उत्तीर्णता प्राप्त कर ली है और क्षेत्र में एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, सम्पुष्टि कर दिये जायेंगे।

(झ) विभागीय परीक्षा:— सहायक अवर निरीक्षक (प्रचालक) एवं सहायक अवर निरीक्षक (तकनीकी) को बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (राजभाषा शाखा) द्वारा आयोजित होने वाली हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। उक्त परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही द्वितीय एवं अग्रतर वेतन वृद्धि देय होगी।

3. प्रोन्नति द्वारा :— (क) सहायक अवर निरीक्षक (प्रचालक) एवं सहायक अवर निरीक्षक (तकनीकी) पंक्ति के पचास प्रतिशत (50%) पदों को कमशः सम्पुष्टि हवलदार (प्रचालक) एवं हवलदार (तकनीकी) से प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा। सम्पुष्टि हवलदार ही प्रोन्नति के पात्र समझे जायेंगे। सभी सम्पुष्टि हवलदार (प्रचालक) एवं हवलदार (तकनीकी) को अपने-अपने सम्बर्ग में छः महीने का ग्रेड-II चर्या प्रशिक्षण, जिसका पाठ्यक्रम डी०सी०पी०डब्ल्यू०, अथवा पुलिस महानिदेशक द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप होगा, प्राप्त करना होगा और उन्हें जाँच परीक्षा में सफल होना होगा। इसके बाद ही वे प्रोन्नति के योग्य होंगे। प्रोन्नति में राज्य सरकार/पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित शर्तें एवं नियम लागू होंगी। इस प्रोन्नत पद पर परिवीक्षा अवधि एक वर्ष की होगी। इस दरम्यान सेवा अभिलेख ठीक रहने पर उन्हें परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर सहायक अवर निरीक्षक के पद पर संपुष्टि कर दिया जायेगा।

(ख) प्रोन्नति वरीयता-सह-योग्यता मापदण्ड के अनुसार देय होगी, जो पुलिस महानिदेशक पर्वद की अनुशंसा पर विचारणीय होगी। पर्वद उप-महानिरीक्षक (वितन्तु एवं तकनीकी सेवायें) अथवा समकक्ष पदाधिकारी की अध्यक्षता में दो पुलिस अधीक्षक स्तर के पदाधिकारियों की सदस्यता के

साथ गठित होगी, जिनमें से एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते होंगे।

4. सीधे नियुक्त सहायक अवर निरीक्षक एवं हवलदार से प्रोन्नत सहायक अवर निरीक्षक के बीच आपसी वरीयता— हवलदार के पद से प्रोन्नत सहायक अवर निरीक्षक को इनके संवर्ग में प्रोन्नति के वर्ष में सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक अवर निरीक्षक के उपर रखा जायेगा।

**(IV) पुलिस अवर निरीक्षक (प्रचालक) एवं पुलिस अवर निरीक्षक (तकनीकी) के पद पर प्रोन्नति, प्रशिक्षण एवं संपुष्टि—**

- (क) प्रोन्नति:— पुलिस अवर निरीक्षक (प्रचालक) एवं पुलिस अवर निरीक्षक (तकनीकी) के सभी पदों को क्रमशः सम्पुष्ट सहायक अवर निरीक्षक (प्रचालक) एवं सहायक अवर निरीक्षक (तकनीकी) से प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा। सम्पुष्ट सहायक अवर निरीक्षक ही प्रोन्नति के पात्र समझे जायेंगे। प्रोन्नति वरीयता—सह योग्यता मापदण्ड के अनुसार देय होगी, जो पुलिस महानिदेशक पर्वद की अनुशंसा पर विचारणीय होगी। पर्वद उप—महानिरीक्षक (वितन्तु एवं तकनीकी सेवायें) अथवा समकक्ष पदाधिकारी की अध्यक्षता में दो पुलिस अधीक्षक स्तर के पदाधिकारियों की सदस्यता के साथ गठित होगी, जिनमें से एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते होंगे। पर्वद की अनुशंसा पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा पदोन्नति दी जा सकेगी। इन पदों पर प्रोन्नति के लिए कालावधि एवं नियम वही होंगे जो सामान्य पुलिस बल के सहायक अवर निरीक्षक को अवर निरीक्षक में प्रोन्नति देने के लिए निर्धारित रहते हैं।
- (ख) प्रशिक्षण:— अवर निरीक्षक (प्रचालक) के लिए ग्रेड—। (प्रचालक) एवं अवर निरीक्षक (तकनीकी) को ग्रेड—। (तकनीकी) कोर्स का प्रशिक्षण, जिसका पाठ्यक्रम डी०सी०पी०डब्ल्यू०, द्वारा निर्धारित है, में उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी।
- (ग) परिवीक्षा अवधि एवं संपुष्टि— प्रोन्नत अवर निरीक्षक (प्रचालक) एवं अवर निरीक्षक (तकनीकी) की परिवीक्षा अवधि एक वर्ष की होगी। इस अवधि में सेवा अभिलेख संतोषप्रद रहने पर परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर इन्हें अवर निरीक्षक के पद पर संपुष्टि किया जा सकेगा।

**(V) पुलिस निरीक्षक (परिचालन) एवं पुलिस निरीक्षक (तकनीकी) के पद पर प्रोन्नति, प्रशिक्षण एवं संपुष्टि**

- (क) प्रोन्नति :— पुलिस निरीक्षक (परिचालन) एवं पुलिस निरीक्षक (तकनीकी) के सभी पदों को क्रमशः सम्पुष्ट पुलिस अवर निरीक्षक (प्रचालक) एवं पुलिस अवर निरीक्षक (तकनीकी), जो ग्रेड—। कोर्स उत्तीर्ण हो, से प्रोन्नति देकर भरा जायेगा। इस हेतु क्षेत्रीय उप—महानिरीक्षक पर्वद की अनुशंसा पर पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित प्रोन्नति पर्वद द्वारा प्रोन्नति दी जायेगी। प्रोन्नति वरीयता—सह—योग्यता मापदण्ड के अनुसार देय होगी, जो पुलिस महानिदेशक पर्वद की अनुशंसा पर विचारणीय होगी। पर्वद पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित होगी जिसमें अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें सदस्य होंगे तथा शेष सदस्यों का मनोनयन पुलिस महानिदेशक के द्वारा किया जायेगा, जिनमें से एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते होंगे।
- (ख) परिवीक्षा अवधि एवं संपुष्टि।— पुलिस निरीक्षक पद पर परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी। इस अवधि में सेवा अभिलेख संतोषजनक रहने पर संपुष्टि कर दिया जाएगा।
6. आरक्षण।— संवर्ग के सभी पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान लागू होंगे।
7. बिहार पुलिस रेडियो संगठन का मुख्यालय।— बिहार पुलिस रेडियो का मुख्यालय पटना में कार्यरत होगा तथा यह जिला पुलिस कार्यालय (रिजर्व आफिस सहित) की तर्ज पर कार्य करेगा। बिहार पुलिस रेडियो संगठन अपर पुलिस महानिदेशक (तकनीकी सेवायें एवं वितन्तु) अथवा इनके पदस्थापित न होने पर पुलिस महानिरीक्षक (तकनीकी सेवायें एवं वितन्तु) के अधीन कार्यरत होगा।
8. साईफर चर्या।— बिहार पुलिस रेडियो संगठन, सहायक अवर निरीक्षकों और अवर निरीक्षकों को जिन्हें समुचित एवं योग्य पाया जाए, साईफर प्रशिक्षण के लिये पदाधिकारियों को निदेश देगा।

9. **पुनःश्चर्या।**— रेडियो संगठन सभी कोटियों के लिये समय-समय पर पुनःश्चर्या लायेगा। इसमें भाग लेने वाले को सेवा सम्भाव्यता में सम्यक महत्व दिया जायेगा।
10. **वेतन और भत्ते।**— संवर्ग के कर्मियों/पदाधिकारियों को देय वेतन एवं भत्ते वही होंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जायेंगे।
11. **अवशिष्ट मामले।**— इस नियमावली या इसके अधीन निर्गत किसी आदेश से जो मामले आच्छादित नहीं होंगे, वैसे मामले बिहार सेवा संहिता/नियमावली/संकल्प/बिहार पुलिस हस्तक जो भी राज्य सरकार में समकक्ष पद के लिए अनुमान्य होगा, द्वारा शासित होंगे।
12. **निर्वचन।**— इस नियमावली के किसी प्रावधान के संबंध में यदि कोई शंका हो तो तत्संबंधी गृह विभाग (आरक्षी शाखा) द्वारा की गयी व्याख्या/निर्वचन अंतिम होगा।
13. **निरसन एवं व्यावृत्ति।**— (i) रेडियो संगठन में इस नियमावली के नियम-5 में वर्णित (I) से (V) तक के पदों पर सीधी नियुक्ति एवं पदोन्नति से संबंधित प्रावधानों के प्रभाव में आने से बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के सुसंगत नियम तदनुसार संशोधित समझे जायेंगे। (ii) गृह विभाग की अधिसूचना सं० 368 दिनांक 06.07.1989 द्वारा अधिसूचित बिहार पुलिस रेडियो (दूर संचार) अधिनस्थ पदाधिकारी (प्रचालक), भर्ती, प्रोन्नति, संवर्ग नियमावली, 1989 एवं तत्संबंधी पूर्व से निर्गत आदेश/परिपत्र/निदेश एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।  
(iii) ऐसे निरसन के होते हुए, इस संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय एवं निर्गत संकल्प/नियमावली/आदेश एवं उक्त के आलोक में की गयी कार्रवाई इस नियमावली के अधीन अथवा इसके द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन की गयी कार्रवाई मानी जायेगी, जैसे कि उक्त तिथि में यह नियमावली लागू हो।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/—

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:-3/वितंतु-01-04/2020 गृ0वि0...../पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:-सी0डी0 के साथ अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं अधिसूचना की 200 अतिरिक्त प्रतियाँ कार्यालय प्रयोग हेतु गृह विभाग (आरक्षी शाखा) को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

ह0/—

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:-3/वितंतु-01-04/2020 गृ0वि0...../पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/अपर पुलिस महानिदेशक (वितंतु एवं तकनीकी सेवाएँ), बिहार, पटना/बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना/केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:-3/वितंतु-01-04/2020 गृ0वि0...../पटना, दिनांक 30/4/21

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

## अनुसूची-“क”

1. शारीरिक दक्षता जाँच— यह अर्हक प्रकृति की होगी और इन जाँचों में कोई अंक नहीं दिये जायेंगे, परन्तु सभी में सफल होना अनिवार्य होगा।
2. दौड़ :- उम्मीदवारों के लिए विहित पात्रता निम्न प्रकार है :-

| दौड़ -                      | निर्धारित अर्हता                     |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| सभी कोटि के पुरुषों के लिए— | 1 मील (1.6 कि०मी०) अधिकतम 6 मिनट में |
| सभी कोटि की महिलाओं के लिए— | 1 कि०मी० अधिकतम 6 मिनट में           |

विनिश्चित समय से अधिक समय लेने वाले उम्मीदवारों को असफल घोषित कर दिया जायेगा।

3. ऊँचाई एवं सीना माप:- उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित न्यूनतम ऊँचाई एवं सीना की पात्रता प्राप्त होना आवश्यक होगा :-

| कोटि                                                                           | ऊँचाई      | सीना               |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------|
|                                                                                | न्यूनतम    | न्यूनतम बिना फुलाए | न्यूनतम फुलाकर |
| अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग पुरुष उम्मीदवारों के लिए                                | 165 से०मी० | 81 से०मी०          | 86 से०मी०      |
| अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष उम्मीदवारों के लिए                                    | 160 से०मी० | 81 से०मी०          | 86 से०मी०      |
| अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष उम्मीदवारों के लिए                  | 160 से०मी० | 79 से०मी०          | 84 से०मी०      |
| सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए                                         | 155 से०मी० | लागू नहीं          | लागू नहीं      |
| फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 5 से०मी० का अन्तर होना अनिवार्य होगा।  |            |                    |                |
| सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 कि०ग्रा० होना आवश्यक है। |            |                    |                |

4. उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता जाँच में निम्नलिखित जाँच में उत्तीर्ण होना आवश्यक है :-

| कोटि                     | जाँच                     | विनिश्चित पात्रता           |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| पुरुष उम्मीदवारों के लिए | (i) उँची कूद             | न्यूनतम ऊँचाई 3 फीट 6 इंच । |
|                          | (ii) गोला फेंक(16 पौंड)  | न्यूनतम 15 फीट ।            |
| महिला उम्मीदवारों के लिए | (i) उँची कूद             | न्यूनतम ऊँचाई 2 फीट 6 इंच । |
|                          | (ii) गोला फेंक (12 पौंड) | न्यूनतम 08 फीट ।            |

प्रत्येक जाँच के लिए अधिकतम तीन मौके प्रदान किये जायेंगे।

5. उपर्युक्त तीनों स्पर्धाओं यथा— दौड़, उँची कूद, गोला फेंक स्पर्धा/स्पर्धाओं में प्रत्येक में न्यूनतम विनिश्चित मापदण्ड पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा।

### अनुसूची-“ख”

1. शारीरिक दक्षता जाँच –ये अर्हक प्रकृति की होंगी और इन जाँचों में कोई अंक नहीं दिये जायेंगे, परन्तु सभी में अलग-अलग सफल होना अनिवार्य होगा।

2. दौड़ – उम्मीदवारों के लिए विहित पात्रता निम्न प्रकार है :-

| दौड़ –                      | निर्धारित अर्हता                       |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| सभी कोटि के पुरुषों के लिए– | 1 मील (1.6 कि०मी०) (अधिकतम 7 मिनट में) |
| सभी कोटि के महिलाओं के लिए– | 1 कि०मी० (अधिकतम 7 मिनट में)           |

विनिश्चित समय से अधिक समय लेने वाले उम्मीदवारों को असफल घोषित कर दिया जायेगा।

3. ऊँचाई एवं सीना :- उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित न्यूनतम ऊँचाई एवं सीना की पात्रता प्राप्त होना आवश्यक होगी :-

| कोटि                                                                           | ऊँचाई      | सीना               |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------|
|                                                                                | न्यूनतम    | न्यूनतम बिना फुलाए | न्यूनतम फुलाकर |
| अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग पुरुष उम्मीदवारों के लिए                                | 165 से०मी० | 81 से०मी०          | 86 से०मी०      |
| अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष उम्मीदवारों के लिए                                    | 160 से०मी० | 81 से०मी०          | 86 से०मी०      |
| अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष उम्मीदवारों के लिए                  | 160 से०मी० | 79 से०मी०          | 84 से०मी०      |
| सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए                                         | 155 से०मी० | लागू नहीं          | लागू नहीं      |
| फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 5 से०मी० का अन्तर होना अनिवार्य होगा।  |            |                    |                |
| सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 कि०ग्रा० होना आवश्यक है। |            |                    |                |

4. उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता जाँच में निम्नलिखित जाँच में उत्तीर्ण होना आवश्यक है

| कोटि                     | जाँच/कार्यक्रम      | विनिश्चित पात्रता           |
|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
| पुरुष उम्मीदवारों के लिए | ऊँची कूद            | न्यूनतम ऊँचाई 3 फीट 6 इंच । |
|                          | लंबी कूद            | न्यूनतम 10 (दस) फीट ।       |
|                          | गोला फेंक (16 पौंड) | न्यूनतम 14 फीट ।            |
| महिला उम्मीदवारों के लिए | ऊँची कूद            | न्यूनतम ऊँचाई 2 फीट 6 इंच । |
|                          | लंबी कूद            | न्यूनतम 07 (सात) फीट ।      |
|                          | गोला फेंक (12 पौंड) | न्यूनतम 08 फीट ।            |

प्रत्येक जाँच/कार्यक्रम के लिए अधिकतम तीन मौका प्रदान किया जायेगा।

5. उपर्युक्त चारों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊँची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक स्पर्धा/स्पर्धाओं में प्रत्येक में न्यूनतम विनिश्चित मानदंड पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जायेगा।

## Schedule –II

### Government of Bihar Home Department (Police Branch)

#### Notification

PATNA, DATE-

No.-3/Bintantu-01-04/2020 Home Police.....In exercise of the powers conferred by proviso of Article 309 of the constitution of India read with Section 55 and Section-94 of Bihar Police Act, 2007, the Governor of Bihar is pleased to make the following rules to amend the Telecommunications, Subordinate Officer (Operation) Recruitment, Promotion and Cadre Rules, 1989 (as amended from time to time), as follows :-

#### 1. Short title, Extent and commencement :-

- (1). These Rules will be called the “Bihar Police Telecommunications (Wireless) and Technical Non-Gazetted Cadre Rules, 2021”.
- (2). It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3). It shall come into force with immediate effect.

#### 2. Definitions :- In these rules unless the context otherwise requires-

- (i) “Government” means Bihar Government;
- (ii) “Department” means Home Department (Police Branch), Government of Bihar;
- (iii) “Selection Board” means Central Selection Board (Constable Recruitment);
- (iv) “Subordinate Service Commission” means Bihar Police Subordinate Service Commission;
- (v) “Commission” means Bihar Public Service Commission;
- (vi) “Cadre Controlling Authority” means Director General of Police, Bihar, Patna for constable to Police Inspector;
- (vii) “Appointing Authority” means
  - (A) SP (Wireless) for Constable (Operation) and Constable (Technical);
  - (B) SP (Wireless) for Havildar (Operation) and Havildar (Technical);
  - (C) DIG (Wireless and Technical Services) for Assistant Sub-Inspector (Operation) and Assistant Sub-Inspector (Technical);
  - (D) DIG (Wireless and Technical Services) for Sub-Inspector (Operation) and Sub-Inspector (Technical);
  - (E) Director General of Police, Bihar for Police Inspector (Operation) and Police Inspector (Technical);
- (viii) “Cadre” means Bihar Police Telecommunications (Wireless) and Technical Non-Gazetted Cadre;
- (ix) “DCPW” means Directorate of Co-ordination of Police Wireless, Ministry of Home, New Delhi;
- (x) “Director General of Police” means officer appointed under Section 5(1) of Bihar Police Act, 2007;
- (xi) “Bihar Police Radio Organization” means the organization which is a part of Bihar Police and which arranges the State-wide transmission of messages pertaining to Law & Order and Crime prevention and Investigation. Apart from this, if needed, arranges the transmission of messages as directed by the State Government or Director General of Police in matters relating to natural disasters;
- (xii) “Bihar Police Radio Headquarters” means Bihar Police Radio Organization office situated at Patna;
- (xiii) “Schedule” means the schedule attached with this rule.

3. **Organisation of Cadre:-**

(A) This cadre will be a closed cadre. The hierarchy of post of this cadre will be as follows :-

| Serial No. | Name of Post                                                                              | Rank                   | Level        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| 1          | Constable (Operation) and Constable (Technical)                                           | Basic Grade            | Non-Gazetted |
| 2          | Havildar (Operation) and Havildar (Technical)                                             | First Promotion Level  | Non-Gazetted |
| 3          | Police Assistant Sub-Inspector (Operation) and Police Assistant Sub-Inspector (Technical) | Second Promotion Level | Non-Gazetted |
| 4          | Police Sub-Inspector (Operation) and Police Sub-Inspector (Technical)                     | Third Promotion Level  | Non-Gazetted |
| 5          | Police Inspector (Operation) and Police Inspector (Technical)                             | Fourth Promotion Level | Non-Gazetted |

(B) The Pay scale /Pay level of above posts will be same as fixed by State Government from time to time.

4. **Cadre Strength :-**

- (i) Strength of the cadre will be according to the present strength, however, cadre will be considered accordingly revised based on creation of posts or termination of posts by State Government from time to time, as needed.
- (ii) All the staff of this cadre (except for ministerial staff) will wear dresses as fixed for equivalent posts of General Police force, however they will not be adjusted in the General Police cadre.
- (iii) All the officers and staff of Bihar Police Radio Organisation who were working before the date of commencement of this rule will be considered the members of this cadre.

5. **Appointment, Promotion, Training and Confirmation in the Cadre :-**

- (I) Appointment, Training and Confirmation on the post of Constable (Operation) and Constable (Technical)

**(A) All posts of Constable (Operation) and Constable (Technical) shall be filled by the citizens of India through direct recruitment on recommendation of the selection board.**

*Proviso*

Upon shortage of manpower on the post of Constable (Operation) and on the possibility of delay in appointment to this post, a maximum of 25 percent of the posts can be filled on deputation basis temporarily by constables of other units of police force, who may be having minimum desired qualification fixed for appointment as Constable (Operation), after approval of Director General of Police and they will not be permanently absorbed in Bihar Police Radio organization and after direct appointment of constable (Operator) they will be reverted back to their parent organization/ units.

- (B) Minimum Educational Qualification –** For the post of Constable (Operation), the minimum educational qualification will be passing Intermediate (Science) or equivalent with minimum fifty percent (50%) marks in Physics, Chemistry and Mathematics subjects. The corresponding minimum passing marks for candidates of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes will be forty five percent (45%).

Minimum educational qualification for the post of constable (Technical), (a) Electronics & Communications, (b) Electronics & Tele-Communications, (c) Information Technology, or (d) Electrical & Electronics, passed in a two-year NCVT/SCVT course in any discipline from the Bihar government recognized ITI institute with minimum Fifty percent (50%) marks. For the candidates belonging to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes minimum Forty five percent (45%). Have also passed Hindi and English as per the prescribed course for class 12<sup>th</sup> from Bihar school examination board under the prescribed provision in kandika-2 of office order no-342 dt.-09-07-2018 of the dept. of education govt. of Bihar is equivalent to passing (Hindi and English examination in the same year and passed ITI with or after that year ) is equivalent to 12<sup>th</sup> standard.

**(C) Age Limit – Age Limit of the candidates will be as follows :-**

- (i) Minimum 18 years and Maximum 25 years for general category;
- (ii) Minimum 18 years and Maximum 27 years for male candidates of Backward class category and Extremely Backward Class category ;
- (iii) Minimum 18 years and Maximum 28 years for female of Backward class category and Extremely Backward Class category and;
- (iv) Minimum 18 years and Maximum 30 years for male and female candidates of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

**(D) Selection Process and Methodology :-**

- (i) For the post of Constable (Operation) and Constable (Technical), qualified candidates shall be recommended by the Selection Board based on separate/combined competitive examination. Combined competitive examination could be held along with examination for appointment to the post of general constables. Upon request from Bihar Police Radio Headquarters, a requisition shall be sent to Selection Board in prescribed Proforma by the Director General of Police, mentioning reservation category-wise number of vacant posts. The selection Board shall appoint examiners for selection of question papers, conduction of written examination and checking of answer booklets and will organise physical ability test and send the recommendation list of successful candidates to the appointing authority.
- (ii) Based on the requisition received from the Director General of Police, the Selection Board shall advertise the vacancies via website and widely circulated News Papers. Candidates shall have to follow the directions and terms/conditions given in the advertisement. The candidates shall be charged the examination fee as fixed by the Selection Board. The candidates shall submit their applications in prescribed format, online through the website of Selection Board subject to terms and restrictions contained in the advertisement published by the Selection Board. In the prescribed format. In case of combined competitive examination, the candidates having desired qualifications will have to indicate their preference for selection of posts.
- (iii) The Selection Board shall organise a written examination for all the candidates in the first phase. The question paper of written examination will be based on multiple choice questions. The written examination question paper shall be of One Hundred (100) marks and have a total of One hundred (100) questions, and the duration of the examination shall be of two hours. One (01) mark shall be awarded for each correct answer. The candidates



scoring less than thirty (30) % marks in this examination shall be declared unsuccessful for the physical ability test. The aforesaid question paper for the post of Constable (Operation) shall have Twenty Five (25) questions of General knowledge and current affairs and Twenty Five (25) questions of intermediate level each from Physics, Chemistry and Mathematics subjects.

The aforesaid question paper for the post of Constable (Technical) shall have Twenty Five (25) questions of General knowledge and current affairs and Seventy Five (75) questions related to subjects of group (A) Electronics & Communication or group (B) Electronics & Tele-Communications, or group (C) Information Technology, or group (D) Electrical & Electronics.

The candidates shall choose any one of the groups from (A) to (D) and answer questions therein. The answer booklet shall be in two copies, out of which one copy shall be kept safe by the Selection Board for a period of one year since the date of declaration of examination result; however in case any case is under consideration in court then the answer booklets of the aforesaid examination shall be kept safe until disposal of the case.

- (iv) Based on the scores of written examination, a maximum number of Five(5) times of vacancies candidates shall be selected for physical ability test, based on the reservation category-wise. The Selection Board would be empowered to reduce the above ratio, in case if sufficient number of qualified candidates are not available for physical ability test.
- (v) The Selection Board shall hold physical ability test for candidates selected on the basis of written examination in phase-1 and The physical ability test shall be of qualifying nature only. The physical parameters and ability tests shall be as prescribed in the **Schedule "A"** which is a part of these rules. Modern technology based transparent processes and computer based methodologies shall be used to examine the physical measurement test and other tests. As per need, and as far as possible, videography of the procedure will also be carried out. The Selection Board shall intimate the information about provisionally successful and un-successful candidates in physical ability test to all candidates on a daily basis. The candidates dissatisfied with height and chest measurement would be allowed to register their objections before the Selection Board, the same day. The Selection board shall dispose-off objection petitions on the same date when they are received.

**(E) Preparation of Merit List :**

- (i) From the successful candidate in physical ability test the merit list of finally successful candidates for selection shall be prepared based reservation category wise on the written examination scores.
- (ii) In case of a combined examination, the merit list of finally successful candidates will be prepared separately based on the post preferences indicated by the candidates.
- (iii) In the case of two or more candidates scoring equal marks in the written examination, their positions in the merit list shall be determined based on their date of birth; i.e. candidates senior by age shall be placed higher in the merit list. In case of candidates scoring equal marks and having same date of birth, their positions in the merit list shall be determined on the basis of their educational qualifications, which means that the candidates having comparatively higher educational qualification shall

be placed higher in the merit list. Despite of this, if more than one candidates have same written examination score and same date of birth then their seniority shall be determined on the basis of their marks scores in the qualifying educational examination. If the merit position still can not be determined, then their positions shall be ascertained on the basis of their names as given in the 10<sup>th</sup> board certificate, using English language alphabetical order.

- (iv) The Selection Board shall prepare the merit list of candidates, having minimum qualifying marks in descending order of scores obtained, and shall recommend the reservation category-wise names in descending order of merit according to the requisition of the Director General of Police.
- (v) Upon the request of the Director General of Police, the Selection Board shall issue supplementary recommendation lists for appointment to the posts vacant due to non-reporting of candidates, upto a period of six (06) months. The duration of six (06) months shall be calculated from the date of publication of merit list.

**(F) Medical Examination, Verification of Character and past antecedents-**

- (i) Before the appointment to the post of Constable (Operation) and Constable (Technical), the appointing authority shall get the medical examination as per form no. 103 and Verification of Character and past antecedents as per form no. 101 of Bihar Police Manual, 1978. In case of receipt of adverse reports, and/or concealment of facts by the candidates, the concerned candidates shall be declared unfit for the appointment.
- (ii) As per the provision of Rule 658(iv) of Bihar Police Manual, the candidate should be free from such ailments, structural deformities and physical weakness which would or could make him/her unfit for duties.

**Note 1-** Medical examination of all selected candidates shall be carried out before appointment. Defects in eye-sight, color blindness, hearing impairment, stuttering, flat-foot, knocking-knee etc shall be checked during medical examination. For appointment, it shall be compulsory for selected candidates to be found fit in the medical examination.

**Note 2-** Candidates having stuttering or stammering problems shall be deemed unfit for selection.

**(G) Training –**

- (i) Constable (Operation) and Constable (Technical) will be imparted basic training of Grade –III for ten months duration.
- (ii) Initial training, which will be of three months, covering Law, Drill and Police Manual at Constable Training College or Constable Training School, whatever is applicable. Thereafter, they will complete a seven month gradation and technical course (technical and operation related) training fixed as per standard of DCPW or Director General of Police from signal school or from any appropriate signal training school.
- (iii) There shall be a training routine during training. A monthly routine test shall be held for the assessment of progress of the trainees.

There shall be a final written examination for internal subjects only in the end of the training. Passing marks in all subjects shall be as prescribed by DCPW. Candidates who fail in the first attempt, shall be subjected to one month intense indoor training course and at the completion of which, second examination will also be conducted. Those who fail in the second attempt, shall be placed under intense training for one month and examined at the end of this coaching. Those who fail in the third attempt, shall be relieved from the service.

- (H) **Seniority** – The seniority of constables (Operation) /Constable (Technical) who pass the final written examination of basic training of Grade-III in first attempt, will be determined according to scores of internal subject examination and score of written examination conducted by the Selection Board. Both shall have proportionate weightage. Those who fail in the first examination and pass in second attempt, shall be placed below those who have passed in first attempt, and their seniority will be according to their merit obtained in the second examination of internal subjects. Those who have passed in the third attempt, shall be placed below those who passed in first and second attempt, and their position in the list shall be based on marks obtained in the internal subjects according to merit list.
- (I) **Departmental Examination-** Constable (Operation) and Constable (Technical) have to pass the Grade-III course examination.
- (J) **Confirmation-** All those constables (Operation)/ constables (Technical) who have passed the Grade-III training and completed one year of service in the field shall be confirmed.

**(II) Promotion, Training and Confirmation from the post of Constable(Operation) and Constable (Technical) to the post of Havildar (Operation) and Havildar (Technical) respectively-**

- (A) All posts of Havildar (Operation) and Havildar (Technical) shall be filled by **promotion from Constable (Operation) and Constable(Technical) respectively.** Only confirmed constables shall be considered eligible for promotion. All confirmed constables (Operation) and constables (Technical) shall have to complete forty five (45) days training in their respective cadres, based on syllabus fixed after approval from the Director General of Police, and shall have to pass in the test examinations. After this, they will be eligible for promotion. Promotion shall be in accordance with the rules and terms as fixed by the State Government and Police Headquarters. For promotion, the **time bound** issued by the General Administration Department of State Government shall be applicable.
- (B) Promotion shall be given based on seniority-cum-merit yardstick, which shall be considered on the recommendation of Board of Director General of Police. This board shall be constituted under the Chairmanship of DIG (Wireless & Technical Services), or equivalent officer with two SP Rank officers as members and one of them shall belong from the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes.

**(III) Appointment, Promotion, Training and Confirmation to the post of Assistant Sub-Inspector (Operation) and Assistant Sub-Inspector (Technical) –**

- 1. Fifty percent (50%) posts of Assistant Sub-Inspector rank shall be filled by **promotion of confirmed Havildars and rest fifty percent (50%) posts shall be filled by direct appointment done by the appointing authority on recommendation of Subordinate Service Commission.**

## 2. Direct Appointment -

**(A) Minimum Educational Qualification-** For the post of Assistant Sub-Inspector (Operation), minimum educational qualification shall be Graduate (B.Sc.) from a recognized university with physics subject and passing with minimum fifty percent (50%) marks, and for Assistant Sub-Inspector (Technical), minimum educational qualification shall be three year diploma course from any State Government or Central Government recognized polytechnic institute in either Electronics & Communication, or Electronics & Tele-communications, or Information Technology, or Electrical & Electronics subjects and passing with minimum fifty percent (50%) marks. For scheduled caste and scheduled tribe candidate the passing marks will be 45% for both post.

**(B) Age Limit –** Age limit for the candidates shall be as follows :-

- (i) Minimum 20 years and maximum 30 years for male candidate of general category;
- (ii) Minimum 20 years and maximum 33 years for male candidate of Backward Classes and Extremely Backward Classes;
- (iii) Minimum 20 years and maximum 33 years for female candidates of Backward Classes and Extremely Backward Classes; and
- (iv) Minimum 20 years and maximum 35 years for male and female candidate of scheduled castes and scheduled tribes.

**(C) Selection Process and Methodology –**

- (i) Upon request from Bihar Police Radio Headquarters, a requisition shall be sent in prescribed format (Proforma) of Subordinate Service Commission, by the Director General of Police, mentioning reservation category-wise number of vacant posts. The Subordinate Service Commission shall ensure for setting question papers, conduction of written examination and appoint examiners for checking of answer booklets, and shall organise physical ability test and send recommendation list of successful candidates to the appointing authority.
- (ii) According to the requisition obtained from the Director General of Police, the Subordinate Service Commission shall get advertised the vacancies through widely circulated news papers and website. Candidates shall have to follow the terms and directions given in the advertisement. Candidates shall be charged examination fee, as fixed by the Subordinate Service Commission. Candidates shall submit their application online in prescribed format, at the website of Subordinate Service Commission, subject to terms and restrictions contained in the advertisement.
- (iii) The Subordinate Service Commission shall organise a written competitive examination for all candidates. Written examination shall be held in two phases viz.- preliminary and main examination. All question papers of the written examination shall be based on objective multiple choice questions. In first phase, preliminary examination shall be held which will have a question paper of one hundred (100) marks wherein one hundred (100) objective multiple choice questions will be there and the duration of examination shall be two hours. In the aforesaid question paper, for Assistant Sub-Inspector (Operation), there will be forty (40) questions related to general knowledge and current affairs and sixty (60) questions related to physics subject; level of questions will be of Graduate Science level. For Assistant Sub-Inspector (Technical), forty (40) questions related to general knowledge and current affairs and sixty (60) questions related to subjects related to group (A) Electronics & Communication, or group (B) Electronics & Tele-communications, or group (C) Information Technology,

or group (D) Electrical & Electronics. Candidates will have to choose one of the groups from (A), (B), (C) or (D) and answer sixty (60) questions therein. Questions will be of the level of polytechnic. Candidates scoring less than 30% marks in the preliminary examination shall be declared unsuccessful for the main examination. Based on the scores of the preliminary examination, candidates equal to twenty (20) times of vacancies shall be selected reservation category-wise for main examination. Subordinate Service Commission shall be competent to suitably reduce the above ratio if adequate number of qualified candidates are not available for the main examination.

- (iv) Main examination will have two question papers. In first paper will be related to language knowledge and one hundred (100) marks in which fifty (50) questions will be from general Hindi and fifty (50) questions from general English subject. Questions will be of the intermediate level and will be of objective multiple choice type. A minimum qualifying marks will be 30 and it would be compulsory to pass this paper, failing which the candidates shall be declared unfit. The duration for general language knowledge paper will be one and half hours. Marks obtained in the general language knowledge paper will not be added while determining the merit list.
- (v) The second question paper will be of graduate physics subject for Assistant Sub-Inspector (Operation) and for Assistant Sub-Inspector (Technical), the second paper will comprise of group (A) Electronics & Communication, or group (B) Electronics & Tele-communications, or group (C) Information Technology, or group (D) Electrical & Electronics, out of which one group subject will have to be chosen for examination. This question paper will be objective multiple choice question and wherein one hundred (100) objective multiple choice questions will be there and full marks will be 100 and the duration of examination shall be three hours. There will be a negative marking of zero point two (0.2) marks per wrongly answered question in the examinations of both the phases. Answer booklet will be in two copies, one of which shall be kept safe with the Subordinate Service commission. It will be compulsory to obtain a minimum of thirty three percent (33%) marks in the second paper examination. Candidates scoring lesser marks shall be declared unsuccessful.
- (vi) In the second phase examination, candidates maximum 05(five) times of vacancies will be selected reservation category wise for physical ability test, based on the marks obtained in the second question paper. In the event of adequate number of qualified candidates being unavailable for physical ability test, the subordinate service commission would be able to reduce the above ratio suitably. The physical measurement and ability test shall be, as prescribed in the schedule "B" of this rule, which is a part of these rules.

#### **(D) Preparation of Merit List-**

- (i) The merit list of finally successful candidates shall be prepared as per the reservation category-wise vacancies out of the candidates successful in physical ability test, on the basis of marks obtained in the second paper of the main examination.
- (ii) In case of combined competitive examination being held, the merit list of finally successful candidates shall be prepared separately on the basis of preference given by the candidates.

- (iii) In case of two or more candidates scoring equal marks in the written main examination, their positions in the merit list shall be determined based on their date of birth; i.e. candidates senior by age shall be placed higher in the merit list. In case there are two or more than two candidates scoring equal marks and having same date of birth, their positions in the merit list shall be determined on the basis of their educational qualifications which means that the candidates having comparatively higher educational qualification shall be placed higher in the merit list. Despite of this, if more than one candidates have same written examination score and same date of birth then their seniority shall be determined on the basis of their scores in the qualifying educational examination meaning that candidate having higher score shall be placed higher in the merit order. If the merit position still can not be determined, then their positions shall be ascertained on the basis of their names as given in the 10<sup>th</sup> board certificate, using English language alphabetical order.
- (iv) Subordinate Selection Commission shall prepare list of candidates scoring minimum qualifying marks in descending order of merit, reservation category-wise, based on requisition obtained from the Director General of Police and recommend names in the descending order of merit scores.
- (v) Upon request of the Director General of Police, the Subordinate Service Commission shall issue supplementary recommendation lists for appointment to the posts vacant due to non-reporting of candidates, upto a period of six (06) months. The duration of six (06) months shall be calculated from the date of publication of merit list.

**(E) Medical Examination and verification of character and past antecedents-**

- (i) Before the appointment to the post of Astd. Sub-Inspector(Operation) and Astd. Sub-Inspector(Technical ) the appointing authority shall ensure the medical examination, as per form no. 103 and verification of character and past antecedents as per form no. 101 of Bihar Police Manual, 1978. In case of receipt of adverse reports, and/or concealment of facts by the candidates, the concerned candidates shall be declared unfit for the appointment.
- (ii) As per the provision of Rule 658(iv) of Bihar Police Manual, the candidate should be free from such ailments, structural deformities and physical weakness which would or could make him/her unfit for duties.

**Note 1-** Medical examination of all selected candidates shall be carried out before appointment. Defects in eye-sight, color blindness, hearing impairment, stuttering, flat-foot, knocking-knee etc shall be checked during medical examination. For appointment, it shall be compulsory for selected candidates to be found fit in medical examination.

**Note 2-** Candidates having stuttering or stammering problems shall be deemed unfit for selection.

**(F) Training-**

- (i) Assistant Sub-Inspector (Operation) and Assistant Sub-Inspector (Technical) will be imparted a nine month basic training in Grade-II course.
- (ii) Directly recruited Assistant Sub-Inspector shall undergo a three month initial training in Law, drill and police manual etc. Thereafter, they will complete a six month technical routine (technical and operation related) training at DCPW, or State Headquarters or any suitable signal school as per the standards prescribed by DCPW or Director General of Police.
- (iii) There shall be a training routine during training. A monthly test shall be held for assessment of progress of the trainees. There shall be a final written examination for internal subjects only at the end of the training. Passing

marks in all subjects shall be as prescribed by DCPW. Candidates who fail in the first attempt, shall be subjected to one month intense training course, and second examination will also be conducted at the completion of intense training course. Those who fail in the second attempt, shall be placed under intense training for one month and examined at the end of this coaching. Those who fail in the third attempt, shall be relieved from service.

**(G) Seniority-**

The seniority of those Assistant Sub-Inspector (Operation) and Assistant Sub-Inspector (Technical), who pass the final written examination of Grade-II training in first attempt, shall be determined on the basis of order of merit, based on marks obtained in the internal subjects and marks obtained in the second question paper of the main examination conducted by Subordinate Service Commission. Both will have proportionate weightages and those who have passed in second attempt shall be placed below those who have passed in the first attempt, and their seniority will be in accordance with their scores obtained in the internal subjects of second examination. Those who pass in the third attempt, shall be placed below those who passed in first and second attempts, and their position in seniority list will be on the basis of marks scored in the internal subjects.

**(H) Confirmation-** All those Assistant Sub-Inspectors (Operation)/ Assistant Sub-Inspectors (Technical) who have passed Grade-II course and completed one year field service, shall be confirmed.

**(I) Departmental Examination-** For Assistant Sub-Inspector (Operation) and Assistant Sub-Inspector (Technical), it shall be compulsory to pass the Hindi Noting and Drafting examination organised by the Department of Cabinet Secretariat (Raj-Bhasha Branch), Government of Bihar. Second and successive pay increments shall be payable only after passing of the aforesaid examination.

**3. By Promotion :-**

(A) Fifty percent (50%) posts of Assistant Sub-Inspector (Operation) and Assistant Sub-Inspector (Technical) shall be filled by promotion of confirmed Havildar (Operation) and confirmed Havildar (Technical) respectively. Only confirmed Havildars (Operation) and confirmed Havildars (Technical) will have to undergo six month Grade-II routine training in their respective cadres and pass in the test examinations; the syllabus of training will be as per DCPW or benchmarks fixed by the Director General of Police.

(B) Promotion shall be given according to seniority-cum-merit basis, which shall be considerable on recommendation of the Board of Director General of Police. The board shall be constituted under the Chairmanship of DIG (Wireless & Technical Services), or equivalent officer with two SP Rank officers as members and one of the two members must belong from the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes.

**4. Mutual Seniority between directly recruited Assistant Sub-Inspector and Assistant sub-inspector promoted from Havildar-**

Assistant Sub-Inspector promoted from Havildar shall be placed above the directly recruited Assistant Sub-Inspector recruited in the year of former's promotion to their cadre.

**(IV) Promotion, Training and Confirmation to the post of Police Sub-Inspector (Operation) and Police Sub-Inspector (Technical)-**

**(A) Promotion:-** All posts of Police Sub-Inspector (Operation) and Police Sub-Inspector (Technical) shall be filled by promotion of confirmed Assistant Sub-Inspector (Operation) and Assistant Sub-Inspector (Technical) respectively. Only confirmed Assistant Sub-Inspectors will be considered eligible for promotion. Promotion shall be given on seniority-cum-merit basis, which will be considerable on the recommendation of the board of Director General of Police. This board shall be constituted under the Chairmanship of DIG (Wireless & Technical Services), or equivalent officer with two SP Rank officers as members and one of the two members must belong from the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes. **Time bound** and rules for this promotion shall be same as fixed for promotion from Assistant Sub-Inspector to Police Sub-Inspector of General Police Force.

**(B) Training :-** It will be compulsory for Sub-Inspector (Operation) and Sub-Inspector (Technical) to pass the grade-I (Operation) course and grade-I(Technical) course respectively; as per syllabus of DCPW.

**(C) Probation Period and Confirmation :-** Probation period for promoted Sub-Inspector (Operation) and Sub-Inspector (Technical) shall be of one year. Upon completion of probation period and service record being satisfactory during this period, they would be confirmed on the post of Sub-Inspector.

**(V) Promotion, Training and Confirmation to the post of Police Inspector (Operation) and Police Inspector (Technical)**

**(A) Promotion:-** All posts of Police Inspector (Operation) and Police Inspector (Technical) shall be filled by promotion of such Police Sub-Inspector (Operation) and Police Sub-Inspector (Technical) respectively, who have passed the grade-I course. Promotion shall be given on seniority-cum-merit basis, which will be considered by the board of Director General of Police on the recommendation of rang DIG Board. Director General Board shall be constituted under the chairmanship of Director General of Police wherein Additional Director General of Police (Technical Services) will be a member and nomination of remaining members shall be done by the Director General of Police; out of which, one member must be of Scheduled castes/ scheduled tribes category.

**(B) Probation period and Confirmation :-** Probation period on the post of Police - Inspector shall be of two years. Confirmation will be done if service record remains satisfactory during this period.

6. **Reservation-** The State government provisions relating to reservation will be applicable to appointment and promotion to all posts of the cadre.
7. **Bihar Police Radio Organisation Headquarters-** The headquarters of Bihar Police Radio will be functioning at Patna and it will work on the model of District Police Office (with reserve office). Bihar Police Radio Organisation will function under Additional Director General (Wireless and Technical Services), and during him not being posted, function under IG (Wireless and Technical Services).
8. **Cipher Routine-** Bihar Police Radio Organisation shall direct the officials for training of suitable and worthy Assistant Sub-Inspectors and Sub-Inspectors for cipher training.
9. **Refresher Course-** Radio organization shall arrange refresher course for all ranks from time to time. Participants shall be given due importance in service potential.
10. **Pay and Allowances -** The officers/staff of the cadre will be entitled to the same payable salary and allowances as fixed by the State Government from time to time.



11. **Residual Matters-** All such matters which are not covered under these rules, or under orders issued under these rules, will be governed by Bihar Service Code/ Rules/Resolution/Bihar Police Manual, as may be applicable in the State Government for the equivalent posts.
12. **Interpretation-** In case of any doubts relating to any provision of these rules, the Home Department (Police Branch) will provide the final interpretation/explanation regarding the same.
13. **Repealing and Amending** – (i) The corresponding rules of Bihar Police Manual, 1978 will be considered accordingly amended after the provisions contained in Serial No. (I) to (V) of Rule No.-5 of these rules, relating to direct recruitment, come in to effect in Radio Organisation.
- (ii) The Bihar Police Radio (Telecommunications) Subordinate Officer (Operation) Recruitment, Promotion and Cadre Rules, 1989 as notified vide Home Department notification no. 368 Dated 06.07.1989 and corresponding previous orders/ circulars/ directions are hereby repealed.
- (iii) Notwithstanding such repealing, the previous decisions, issued resolutions/ rules/ orders in this matter and the actions taken in light of them would be deemed to be actions taken under these rules or under powers provided by these rules; as if these rules were in effect on that date.

By the Order of Governor of Bihar

Sd/-

Under Secretary to the Government

Memo No.- 3/Bintantu-01-04/2020 Home Department...../Patna, Date-----

Copy:- Forwarded to Superintendent, Government Printing Press, Gulzarbagh, Patna/ e-Gazette Cell, Finance Department, Bihar, Patna (along with C.D) for publishing and notification. Please send 200 extra copies of notification for the office use.

Sd/-

Under Secretary to the Government

Memo No.- 3/Bintantu-01-04/2020 Home Department...../Patna, Date-----

Copy:- Forwarded to Director General of Police, Bihar, Patna/Additional Director General of Police (Wireless and Technical Services), Bihar, Patna/Central Selection Board (Coustable Recruitment), Bihar, Patna/Bihar Police Sub-Ordinate Service Commission, Patna for information and necessary action.

Sd/-

Under Secretary to the Government

Memo No.- 3/Bintantu-01-04/2020 Home Department...../Patna, Date---30/4/21

Copy:- Forwarded to I.T Manager, Home Department, Bihar, Patna for information and necessary action.

Under Secretary to the Government

**Schedule- "A"**

1. **Physical Ability Test** – This test will be of qualifying nature only. No marks will be awarded in these tests, but it would be compulsory to successfully qualify in all the physical tests.

2. **Run-** The prescribed eligibility for the candidates is as follows :-

| <b>Run-</b>                   | <b>Prescribed Eligibility</b>          |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| For males of all categories   | 1 mile (1.6 K.M.) in maximum 6 minutes |
| For females of all categories | 1K.M. in maximum 6 minutes             |

The candidates taking more than fixed time-limit shall be declared unsuccessful.

3. **Height and Chest Measurement-** It will be compulsory for the candidates to have minimum height and chest eligibility as follows :-

| <b>Category</b>                                                            | <b>Height</b>  | <b>Chest</b>                     |                               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------|
|                                                                            | <b>Minimum</b> | <b>Minimum without expansion</b> | <b>Minimum with expansion</b> |
| For male candidates of unreserved and Backward class                       | 165 cm         | 81 cm                            | 86 cm                         |
| For male candidates of Extremely Backward class                            | 160 cm         | 81 cm                            | 86 cm                         |
| For male candidates of Scheduled castes/ Scheduled tribes                  | 160 cm         | 79 cm                            | 84 cm                         |
| For female candidates of all categories                                    | 155 cm         | Not Applicable                   | Not Applicable                |
| Minimum increase in the measurement after expansion must be minimum 05 cm. |                |                                  |                               |
| Minimum weight of female candidates of all categories should be 48 K.G.    |                |                                  |                               |

4. The candidates are required to pass the following tests in Physical Ability Test :-

| <b>Category</b>       | <b>Test</b>                  | <b>Prescribed Eligibility</b>  |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| For male candidates   | (i) High Jump                | Minimum height 3 feet 6 inches |
|                       | (ii) Shot Put throw (16 lbs) | Minimum 15 feet                |
| For female candidates | High Jump                    | Minimum height 2 feet 6 inches |
|                       | Shot Put throw (12 lbs)      | Minimum 08 feet                |

A maximum of three attempts shall be given for each of the tests.

5. The candidates who fail in fulfilling the minimum determined eligibility criterion for all of the above three tests (viz.- Run, High Jump and Shot Put throw) shall be declared unsuccessful in the Physical Ability Test.

### Schedule- "B"

1. **Physical Ability Test** – This test will be of qualifying nature only and no marks will be awarded in these tests, but it would be compulsory to successfully qualify in each of the separate physical tests.

2. **Run-** The prescribed eligibility for the candidates is as follows :-

| Run-                        | Prescribed Eligibility                 |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| For males of all category   | 1 mile (1.6 K.M.) in maximum 7 minutes |
| For females of all category | 1K.M. in maximum 7 minutes             |

The candidates taking more time than the fixed time-limit shall be declared unsuccessful.

3. **Height and Chest Measurement-** It will be compulsory for the candidates to have minimum height and chest eligibility as follows :-

| Category                                                                   | Height  | Chest                     |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|------------------------|
|                                                                            | Minimum | Minimum without expansion | Minimum with expansion |
| For male candidates of unreserved and Backward class                       | 165 cm  | 81 cm                     | 86 cm                  |
| For male candidates of Extremely Backward class                            | 160 cm  | 81 cm                     | 86 cm                  |
| For male candidates of Scheduled castes/ Scheduled tribes                  | 160 cm  | 79 cm                     | 84 cm                  |
| For female candidates of all categories                                    | 155 cm  | Not Applicable            | Not Applicable         |
| Minimum increase in the measurement after expansion must be minimum 05 cm. |         |                           |                        |
| Minimum weight of female candidates of all categories should be 48 K.G.    |         |                           |                        |

Chest of female candidates will not be measured. Minimum increase in the measurement after expansion must be 05 cm.

4. The candidates are required to pass the following tests in Physical Ability Test :-

| Category              | Test/Programme          | Prescribed Eligibility            |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| For male candidates   | High Jump               | Minimum height of 3 feet 6 inches |
|                       | Long Jump               | Minimum 10 (Ten) feet             |
|                       | Shot Put throw (16 lbs) | Minimum 14 feet                   |
| For female candidates | High Jump               | Minimum height of 2 feet 6 inches |
|                       | Long Jump               | Minimum 07 feet                   |
|                       | Shot Put throw (12 lbs) | Minimum 08 feet                   |

A maximum of three chances shall be given for each of the tests/programmes.

5. The candidates who fail in fulfilling the minimum determined eligibility criterion for all of the above four tests (viz.- Run, High Jump, Long Jump and Shot Put throw) shall be declared unsuccessful in the Physical Ability Test

